चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 27.02.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 27.02.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में महाकुंम्भ 2025 प्रयागराज को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग तथा बार्डर पर बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेंकिग की गयी।

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 27.02.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 403/2017 धारा 376,323,342,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त देवशरण यादव पुत्र रामखिलावन निवासी दरसेडा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 25.11.2017 को एक वादी द्वारा थाना मानिकपुर सूचना दी कि अभियुक्त देवशरण यादव पुत्र रामखिलावन निवासी दरसेडा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी। घटना की सूचना पर थाना पहाड़ी पर मु0अ0सं0 403/2017 धारा 376,323,342,504,506 भादवि0 व 04 पॉस्को एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 प्रेमचन्द्र यादव द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 17.02.2018 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह आरक्षी असोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा आज दिनाँक 27.02.2025 को कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 299/2015 धारा 498A,323,504,504,506 भादवि0 व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त मोहम्मद आजम पुत्र रफीक अहमद निवासी ग्राम असरतगंज बाजार थाना रसूलाबाद कानपुर देहात को 01 वर्ष के साधारण कारावास व 21000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 08.04.015 को वादिया नूरवानो पुत्री तीन मोहम्मद निवासी तरौहा कोतवाली कर्वी जमपद चित्रकूट ने कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि उनके पति मोहम्मद आजम उपरोक्त व ससुरालीजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की माँग कर प्रताडित करते है और गाली गलौच मारपीट करते है। सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी पर मु0अ0सं0 299/2015 धारा 498A,323,504,504,506 भादवि0 व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री विजय लक्ष्मी द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 21.06.2015 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट

श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बृजबिहारी, प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री विनोद कुमार शुक्ल एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता सुशील सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश/एफटूसी श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 132/2020 धारा 272 भादवि0 व 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त 1.धीर सिंह पुत्र कमलेश निवासी अर्जुनपुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट 2. प्रदीप सिंह पुत्र अरुण कुमार निवासी छिवलहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 03-03 वर्ष का कारावास व 01-01 लाख रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह द्वारा जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जीएन एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में फीता काटकर नव सृजित पुलिस चौकी खोह,थाना कोतवाली कर्वी का उद्घाटन किया गया।
पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा कहा गया कि यह चौकी प्रयागराज रोड व मानिकपुर रोड पर जाने वाले जक्शन पर है। सामने रेलवे क्रासिंग है, जहाँ यह चौकी जाम से राहत दिलाने में सहायक होगी वही सड़क दुर्घटना से ही आमजनता को राहत मिलेगी। यह चौकी थाना कोतवाली कर्वी अन्तर्गत दूरस्थ ग्राम जो अब चौकी क्षेत्र में पड़ेगें वहां पर निवास करने वाले ग्रामीण अब आसानी से अपनी शिकायत के सम्बन्ध में पुलिस को सूचना दे पायेगें, साथ ही पुलिस को भी घटनास्थल पर पहुंचने वाले समय में कमी आएगी तथा इस चौकी के उद्धाघटन से स्थानीय ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी। इस क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता आम जनमानस में सुरक्षा का भाव पैदा होगा।
इस दौरान अपर जिलाधिकारी श्री उमेश चन्द्र निगम, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी,उपजिलाधिकारी सदर सुश्री पूजा साहू, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद,क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जय करन सिंह,क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,प्रतिसार निरीक्षक शिवनारायण,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी सहित समस्त थानों के थाना/चौकी प्रभारी एवं पीआरओ प्रवीण सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।